न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 179/2017

1. अतुल पुत्र जगदीशराय जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुलशन पुत्र कृष्णलाल जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुरेश कुमार पुत्र सदूराम जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. मनोज कुमार पुत्र ताराचंद जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. ईश्वरी देवी पत्नी सुखरामदास जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 27.11.2017

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 व 3

निर्णय दिनांक 14.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.11.2017 के विरूद्व पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा रेस्पों. सं. 1 व 2

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

के प्रा.पत्र पर चक 25 जी.जी. के मु.नं. 30 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 से 31 पेड काटने की स्वीकृति दी गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिकांश पेड मु.नं. 31 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्थित थे जो अपीलांट की भूमि है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो सुना, न ही पक्षकार बनाया गया। रेस्पों. द्वारा पेड काटकर बाजार में विक्रय की गई है जबकि घरेलू आवश्यकता हेतु पेड काटने की अनुमति दी गई थी। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर सशर्त आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. को 31 पेड काटने की स्वीकृति दी गई है जबकि दी गई स्वीकृति अपीलांट के संयुक्त खाते की भूमि होने से स्वीकृति आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 85 के अधीन अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। स्वीकृति धारा 84 में देने से पूर्व अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.11.2017 द्वारा धारा 85 के विवाद का निस्तारण किया गया है जो सन्दर्भ धाराओं एवं इसकी कियान्विति हेतु बने नियमों की पालना होकर पेड काटने की स्वीकृति जारी की गई है। अतः अधी. न्यायालय के

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर